ग्राम पंचायत कटोरा, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा, हि० प्र० – 176027 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कटोरा, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती अंजना कुमारी	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विजय कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती नीना चौधरी	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रमन कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत कटोरा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में (₹)
1.	4.3	विभिन्न अनुदानों से अर्जित ब्याज राशि को सभा निधि रोकड़ बही में हस्तांतरित करना	0.27
2.	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	34.14
3.	7.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.14
4.	8.1	खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अनियमित भुगतान	4.48
5.	8.2	सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान	0.06
6.	8.3	पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान	0.07
7.	8.4	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	3.99
8.	9.1	मनरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत राशि के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करना	13.00

9.	9.2	मनरेगा के तहत व्यक्तिगत कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात (60:40) के उल्लंघन करने के कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान करना	0.38
10.	10.1	विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि	0.06

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत कटोरा का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लिये किया गया था जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

<u>अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 तक</u>

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति
1	3	निर्णीत (अंकेक्षण शुल्क मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर पेज-171 पर दर्ज प्रविष्टि के दृष्टिगत)
2	4	निर्णीत (वित्तीय स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
3	5	अनिर्णीत
4	6	निर्णीत (पंचायत द्वारा पैरे के समायोजन हेतु पत्र क्रमांक GP/KAT/SAD/04(I)/2024 दिनांक 13.11.2024 द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन एवं सटिप्पण उत्तर के अवलोकन उपरांत पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
5	7	निर्णीत (नवीनतम स्थिति अनुसार वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
6	8	निर्णीत (नवीनतम स्थिति अनुसार वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
7	9	अनिर्णीत

8	10	अनिर्णीत
9	11	अनिर्णीत
10	12	अनिर्णीत
11	13	निर्णीत (पंचायत द्वारा पैरे के समायोजन हेतु पत्र क्रमांक GP/KAT/SAD/04(I)/2024 दिनांक 13.11.2024 द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन एवं सटिप्पण उत्तर के अवलोकन उपरांत पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
12	14	निर्णीत (पंचायत द्वारा पैरे के समायोजन हेतु पत्र क्रमांक GP/KAT/SAD/04(I)/2024 दिनांक 13.11.2024 द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन एवं सटिप्पण उत्तर के अवलोकन उपरांत पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
13	15	निर्णीत (पंचायत द्वारा पैरे के समायोजन हेतु पत्र क्रमांक GP/KAT/SAD/04(I)/2024 दिनांक 13.11.2024 द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन एवं सटिप्पण उत्तर के अवलोकन उपरांत पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
14	16	अनिर्णीत
15	17	अनिर्णीत
16	18	निर्णीत (पंचायत द्वारा पैरे के समायोजन हेतु पत्र क्रमांक GP/KAT/SAD/04(I)/2024 दिनांक 13.11.2024 द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन एवं सटिप्पण उत्तर के अवलोकन उपरांत पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
17	19	निर्णीत (पंचायत द्वारा पैरे के समायोजन हेतु पत्र क्रमांक GP/KAT/SAD/04(I)/2024 दिनांक 13.11.2024 द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन एवं सटिप्पण उत्तर के अवलोकन उपरांत पैरे का समायोजन कर दिया गया है)

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत कटोरा, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 13.11.2024 से 19.11.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	03/2023	03/2023
2023-24	03/2024	03/2024

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 14/2024/कटोरा दिनांक 19.11.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक GP/KAT/SAD/18/2024 दिनांक 19.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. **वित्तीय स्थिति:-**

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 31/2024 दिनांक 13.11.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्वः स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	305098.78	321614.00	626712.78	216573.00	410139.78
2023-24	410139.78	538285.00	948424.78	356628.00	591796.78

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	2868608.95	3675393.28	6544002.23	3051123.58	3492878.65
2023-24	3492878.65	2033094.78	5525973.43	2111755.78	3414217.65

कुल योग (1+2) = 591796.78 + 3414217.65 = **4006014.43**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत की रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार अन्तशेष **₹40,06,014.43** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹40,06,014.43 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1.	सभा निधि (OWN SOURCE)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	20027080250	₹ 5,91,796.78

2.	5 वाँ राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055874654	₹ 56,520.00
3.	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50052641656	₹ 2,42,012.00
4.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना(M.P.L.A.D.S.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055874687	₹ 0.00
5.	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (S.D.P.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055950659	₹ 0.00
6.	15वाँ वित्तायोग (15^{TH} FC)	यूको बैंक नगरोटा सूरियाँ	30720110038031	₹ 24,85,973.65
7.	मुख्यमंत्री आवास योजना (M.M.A.Y.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50065702140	₹ 0.00
8.	स्वच्छ भारत मिशन (S.B.M.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055874676	₹ 0.00
9.	14वाँ वित्तायोग (14^{TH} FC)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50065412463	₹ 0.00
10.	आपदा राहत कोष (Calamity Relief Fund)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055874542	₹ 77,629.00
11.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (N.R.H.M.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50056031135	₹ 0.00
12.	विकास में जन -सहयोग (V.M.J.S.Y.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50059632859	₹ 0.00
13.	विवाह पंजीकरण शुल्क (Marriage Regi. Fees)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50073643503	₹ 9,800.00
14.	लोक सेवा केंद्र (रा०गाँ०स०अ०) CSC (RGSA) -1	इंडसइंड बैंक शिमला	100167513891	₹ 5,42,283.00
15.	लोक सेवा केंद्र (रा०गाँ०स०अ०) CSC (RGSA) -2	इंडसइंड बैंक शिमला	100200916818	₹ 0.00
	हस्तगत शेष (स्व स्त्रोत)			₹ 0.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :			₹ 40,06,014.43

	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति/पैरा4(क) अनुसार अन्तशेष :-	₹40,06,014.43
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	₹40,06,014.43
	अंतर :-	₹0.00

4.1 PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(RGSA) की रोकड़ बही का संधारण न करने बारे:-

(क) निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) के कार्यान्वयन हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से सम्बन्धित स्वीकृति पत्र में PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा व प्रत्येक अनुदान के लिए पृथक बैंक खाता खोला जाना अपेक्षित है।

(ख) निदेशक-सह-विशेष सचिव (RD&PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.सी(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 द्वारा सभी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में ई ग्राम स्वराज) में खातों का रख-रखाव बारे दिशा-निर्देश जारी किए गये जिसके अनुसार सभी पंचायती राज संस्थाएँ दिनांक 31.03.2018 को या उससे पहले रोकड़ बहियों को Online mode पर संधारित करेंगी और उसके बाद Manual Mode (हस्तलिखित) को बंद कर दिया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(RGSA) के आय व्यय हेतु 02 अलग-अलग हस्तलिखित रोकड़ बहियों संधारित है एवं 02 बैंक खाते खोले गये थे जोकि अनियमित एवं उपरोक्त वर्णित दिशा-निर्देशों के विपरीत है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/कटोरा दिनांक 13.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी

अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/05/2024 दिनांक 13.11.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि रोकड़ बहियों के अनुरक्षण एवं लेखांकन संबंधी नियमों की अवहेलना को स्वीकार किया जाता है एवं भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा एवं नियमानुसार PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में ई ग्राम स्वराज) पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(RGSA) रोकड़ बही को संधारित कर नियमित रूप से रोकड़ बही का नियमानुसार अद्यतन किया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में ई ग्राम स्वराज) में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(RGSA) की रोकड़ बही संधारण न करने का तथ्यपूर्ण कारण बताते हुये सुधारात्मक कार्रवाई अमल में लाकर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान(RGSA) की ONLINE रोकड़ बही संधारित कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.2 PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में नियमानुसार अनुदान 5वां राज्य वित्त आयोग (5^{TH} SFC) से प्राप्त राशि का लेखांकन न करने बारे:-

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) के कार्यान्वयन हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से सम्बन्धित स्वीकृति पत्र में ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 5वां राज्य वित्त आयोग (5^{TH} SFC) से प्राप्त राशि के आय व्यय से सम्बन्धित लेन देन एवं लेखांकन सभा निधि बैंक खाता एवं रोकड़ बही में किया जा रहा था जबकि 5वां राज्य वित्त आयोग के आय व्यय हेतु अलग बैंक खाता है और रोकड़ बही अलग से संधारित की गई है, जो कि अनियमित है व जिस बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/कटोरा दिनांक 13.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी

अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/06/2024 दिनांक 14.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि 5वां राज्य वित्त आयोग (5TH SFC) से प्राप्त होने वाले पदाधिकारियों के मानदेय आदि विकास खंड कार्यालय से पंचायत के सभा निधि बैंक खाते हस्तांतरित किया गया था जिस कारण उसका लेन-देन भी वर्तमान में सभा निधि खाता से ही किया जा रहा है परंतु भविष्य में इस संदर्भ में पत्राचार कर इसका आय व्यय 5वां राज्य वित्त आयोग (5TH SFC) के बैंक खाते व रोकड़ बही से कर दिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में नियमानुसार अनुदान 5वां राज्य वित्त आयोग (5TH SFC) से प्राप्त राशि का लेखांकन न करने बारे तथ्यपूर्ण कारण बताते हुये सुधारात्मक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

4.3 विभिन्न अनुदानों से अर्जित ब्याज राशि ₹0.27 लाख को सभा निधि रोकड़ बही में हस्तांतरित करना: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु योजना वार अलग-अलग खाता संख्या खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं पर अर्जित ब्याज उन्हीं योजनाओं का हिस्सा होगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका अनुसार अर्जित ब्याज को सभा निधि में हस्तांतरित किया गया था जोकि जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों की ग्राम पंचायत द्वारा स्पष्ट अवहेलना है:-

क्र० सं०	माह/वर्ष	अनुदान/योजना	वा० सं०/ दिनांक	सभा निधि में हस्तांतरित की गई ब्याज राशि (₹)
1.	03/2023	5 वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	5THSFC/2022-23/P/3 Dt	2017.00

			28.03.2023	
2.	03/2023	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	VKVNY/2022-23/P/7 Dt 28.03.2023	7042.00
3.	03/2023	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (S.D.P.)	SDP/2022-23/P/1 Dt 28.03.2023	51.00
4.	03/2023	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना(M.P.L.A.D.S.)	MPLADS/2022-23/P/1 Dt 28.03.2023	3.00
5.	03/2023	आपदा राहत कोष (Calamity Relief Fund)	CRF/2022-23/P/1 Dt 28.03.2023	2278.00
6.	03/2023	विकास में जन -सहयोग (V.M.J.S.Y.)	VMJS/2022-23/P/1 Dt 28.03.2023	5071.00
7.	03/2023	मुख्यमंत्री आवास योजना (MMAY)	MMAY/2022-23/P/1 Dt 28.03.2023	6.00
8.	03/2024	5 वां राज्य वित्त आयोग (5th SFC)	5THSFC/2023-24/P/1 Dt 28.03.2024	1833.00
9.	03/2024	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	VKVNY/2023-24/P/4 Dt 28.03.2024	6681.00
10.	03/2024	आपदा राहत कोष (Calamity Relief Fund)	CRF/2023-24/P/1 Dt 28.03.2024	2366.00
11.	03/2024	विकास में जन -सहयोग (V.M.J.S.Y.)	VMJS/2023-24/P/1 Dt 28.03.2024	11.00
		कुल जोड़		**27359.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2024/कटोरा दिनांक 16.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/13/2024 दिनांक 16.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों से प्राप्त ब्याज की राशि जो सभा निधि खाते में ट्रांसफर की गई है उसे वापिस सम्बन्धित अनुदानों के खातों में जमा करवा दिया जाएगा व की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्वः-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/कटोरा दिनांक 14.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/08/2024 दिनांक 14.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹34.14 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 31/2024 दिनांक 13.11.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 34,14,217.65** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/कटोरा दिनांक 14.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/08/2024 दिनांक 14.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को वस्तुस्थिति व नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **79**(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 04/2024/कटोरा दिनांक 14.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी

अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/08/2024 दिनांक 14.11.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि भविष्य में समस्त संकर्म के आदेश/ स्वीकृति पत्रों को प्राप्त कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.14 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका के अवलोकन एवं पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/कटोरा दिनांक 16.11.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक GP/KAT/SAD/09/2024 दिनांक 16.11.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹100/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹14,200.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/कटोरा दिनांक 19.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/17/2024 दिनांक 19.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र एवं नियमित वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण राशि ₹4.48 लाख के अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा। इसके अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचयाती राज के पत्र क्रमांक XEN-(RD&PR)-DB-GENERAL/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 व XEN-(RD&PR)-Royalty/2011-Vol-1-10247-10393 दिनांक 24.07.2024 द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी किए गये कि खनन सामग्री क्रय हेतु भुगतान केवल सम्बन्धित वैध ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित करने उपरांत ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान से पूर्व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं निर्देशों के अनदेखी के परिणामस्वरूप **परिशिष्ट - " ङ "** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹4,47,546.80** का आपूर्तिकर्ता को अनियमित भुगतान किया गया है। ट्रांजिट पास उपलब्ध न होने के कारण क्रय खनन सामग्री के आपूर्ति स्त्रोत की वैधता की पुष्टि नहीं की जा सकी जिस कारण अवैध खनन स्त्रोत से आपूर्ति एवं सरकारी राजस्व की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2024/कटोरा दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/14/2024 दिनांक 19.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं की गई व आपूर्तिकर्ता से उक्त ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः राशि **₹4,47,546.80** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा अंकेक्षणावधि के दौरान इस प्रकार कृत समस्त भुगतानों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागीय जिलाधिकारी से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में खनन सामग्री के क्रय के दौरान बिलों के साथ ट्रांजिट पास की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व तदोपरान्त ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाये।

8.2 सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.06 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.20218 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में एकल अनुबन्ध के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतरराज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 03/2023 व 03/2024 के व्यय बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी । ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के चयनित माहों के दौरान कुल राशि **₹3,01,776.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹6,036.00** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " च "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने एवं सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/कटोरा दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/15/2024 दिनांक 19.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में आपूर्तिकर्ता से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी जिस पर नियमपूर्वक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्रोत से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से सम्बन्धित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8.3 पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.07 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के कार्य विनिर्देशों के पैरा 2.1.2.13 अनुसार पत्थरों (Stone/Boulders) की आपूर्ति में रिक्तियों (Voids) की 12.5% दर से कटौती करना निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को पत्थरों की खरीद हेतु 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती किए बिना कुल राशि **₹58,872.00** का भुगतान किया गया जिस पर राशि **₹7,359.00** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2024/कटोरा दिनांक 18.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/16/2024 दिनांक 19.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी व आपूर्तिकर्ता से वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर नियमों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्रोत से की जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व रिक्तियों की कटौती से सम्बन्धित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु

ऐसे भुगतानों से सम्बन्धित रिकार्ड प्रविष्टियों की नमूना जांच एवं सत्यापना नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों से करवाई जानी अपेक्षित रहेगी।

8.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹3.99 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह 03/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹3,98,660.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ज"** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार व्यापक बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/कटोरा दिनांक 19.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/17/2024 दिनांक 19.11.2024 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया जा सका व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अनियमितता बारे

9.1 मनरेगा के अन्तर्गत स्वीकृत राशि ₹13.00 लाख के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम **94, 95** व **101** के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। नियम **79(2)** अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत स्वीकृत राशि **₹13,00,069.00** के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "झ"** पर संलग्न विवरणानुसार निष्पादित निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि के अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/कटोरा दिनांक 19.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/17/2024 दिनांक 19.11.2024 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः मनरेगा के अन्तर्गत निष्पादित विकास कार्यों हेतु व्यय राशि से सम्बन्धित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे मामले को विभागीय स्तर पर उच्च अधिकारियों के

ध्यानार्थ लाकर तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर वस्तुस्थिति अनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 मनरेगा के तहत व्यक्तिगत कार्यों में मजदूरी सामग्री अनुपात (60:40) के उल्लंघन करने के कारण आपूर्तिकर्ता को राशि ₹0.38 लाख का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान करना :-

प्रधान सचिव (ग्रा०वि०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या एसएमएस-8/2011-12-आर.डी.डी. (एम.पी.आर) दिनांक 22 जुलाई 2011 द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित करने हेतु जारी दिशा-निर्देशों अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, लघु तथा सीमान्त किसानों की निजी भूमि पर किये जाने वाले प्रत्येक कार्य पर मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर व्यय क्रमशः 60:40 के अनुपात में ही होगा।

अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को सामग्री क्रय हेतु राशि **₹38,348.00** का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ञ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/कटोरा दिनांक 19.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/17/2024 दिनांक 19.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु एवं नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण

न्यायोचित ठहराने हेतु लाया जाता है तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अतिरिक्त/अनियमित भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरांत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न कार्यों की माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा नमूना जांच उपरान्त सत्यापित एवं प्रतिहस्ताक्षरित न करने बारेः -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिसूचना क्रमांक PCH-HB(1)10/2017-PREW-44424-570 दिनांक 23.07.2019 के अनुसार तकनीकी सहायकों द्वारा माप पुस्तिका में तैयार किए गए कार्य अभिलेख प्रविष्टियों और बिल के मूल्यांकन के लिए, 3.00 लाख रुपये तक की लागत वाले कार्य जूनियर इंजीनियर द्वारा सत्यापित किए जाएंगे और जूनियर इंजीनियर द्वारा तैयार किए गए 3.00 लाख रुपये से अधिक लागत वाले रिकॉर्ड प्रविष्टियों और बिल को सहायक इंजीनियर या कार्यकारी इंजीनियर द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मस्ट्रोलों एवं बिल वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न कार्यों की माप पुस्तिकाओं में तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा भुगतान हेतु नमूना जांच उपरान्त सत्यापित एवं प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करवाया गया था।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/कटोरा दिनांक 19.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/17/2024 दिनांक 19.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में मनरेगा कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत में कार्यरत तकनीकी सहायक द्वारा की गई रिकॉर्ड प्रविष्टियों को पारित एवं प्रतिहस्ताक्षरित नहीं करवाया गया था जिसे उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाएगा व नियमानुसार

अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत माप पुस्तिकाओं के अभिलेखन में पाई गई त्रुटि व किये गए भुगतान को उच्च अधिकारियों की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए एवं तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये व भविष्य में भी उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि ₹0.06 लाख को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे:-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹5,800.00** को राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2024/कटोरा दिनांक 16.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/12/2024 दिनांक 16.11.2024 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये । इसके अतिरिक्त यह मामला नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यान में विशेष रूप में लाया जाता है।

10.2 निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अनुभागी / संकर्म समिति द्वारा अनुबंध हस्ताक्षरित न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देख-रेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि दृष्टांत मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.3 पंचायत बैठक की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने की प्रक्रिया का पालन न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 27 (3) के अनुसार "निर्माण कार्यों तथा विकासात्मक कार्यों के लेखों का अनुमोदन प्रत्येक ग्राम पंचायत की बैठक का अनिवार्य एजेण्डा होगा। पूर्व मास आय-व्यय का मदवार विवरण विहित प्रपत्र पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में चल रहे विकास कार्यों के आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रपत्र 34 पर ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत की कार्यवाही का अवलोकन करने पर पाया गया कि लेखा-जोखा प्रपत्र 34 अनुसार असंधारित था तथा ग्राम पंचायत का आय-व्यय

नियमानुसार ग्राम पंचायत की बैठक में विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ नहीं रखा जा रहा था जोकि पंचायत की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/कटोरा दिनांक 19.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/17/2024 दिनांक 19.11.2024 द्वारा बताया गया कि नियमानुसार लेखा-जोखा खाता का संधारण कर लिया जाएगा व बैठक/सभा की कार्यवाही नियमपूर्वक अमल में लाई जाएगी

अतः उक्त मामले में सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, इस प्रकार लेखांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं क्रॉस सन्दर्भ के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के रिसन की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र०सं०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता/ खाता बही	29 (1 से 3)	7
4.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
5.	बजट प्राक्कलन	37	11

6.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
7.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 नियमावली अनुसार

क्र०सं०	**रजिस्टर/अभिलेख**	**संदर्भित नियम**	**प्रारूप**
1.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
2.	विकास कार्यों का लेखा जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 105(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/कटोरा दिनांक 16.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/10/2024 दिनांक 16.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र क्रमांक 12034/01/2016 - आर ई -1 (347366) दिनांक 17.11.2016 अनुसार मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टरों का रख-रखाव करने हेतु निर्देश जारी किए ताकि ग्राम रोजगार सहायक मनरेगा कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में अपना समय प्रभावी तथा लाभदायक ढंग से लगा सकें।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 07 अनिवार्य रजिस्टर में से निम्नलिखित 06 रजिस्टरों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

क्रमांक	रजिस्टर क्रमांक	रजिस्टर का प्रायोजन
1.	रजिस्टर - I	जॉब कार्ड (आवेदन, पंजीकरण और जारी करने के लिए) और घरेलू रोजगार रिपोर्ट।
2.	रजिस्टर-III	कार्य की मांग, कार्य आवंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर
3.	रजिस्टर-IV	कार्य (Work) रजिस्टर
4.	रजिस्टर-V	अचल संपत्ति रजिस्टर
5.	रजिस्टर-VI	शिकायत रजिस्टर
6.	रजिस्टर-VII	सामग्री रजिस्टर

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/कटोरा दिनांक 16.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/11/2024 दिनांक 16.11.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों का नियमानुसार अनुरक्षण एवं अद्यतन कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित सभी रजिस्टरों को नियमानुसार अद्यतन करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता एवं गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता एवं गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 13/2024/कटोरा दिनांक 19.11.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर GP/KAT/SAD/17/2024 दिनांक 19.11.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13 लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ख) ऑनलाइन PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में खातों के रखरखाव बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

20 JAN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

625– 629

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)171/2018–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत कटोरा विकास खण्ड नगरोटा सूरियां जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

20 JAN 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 4(क) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत कटोरा वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176027

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP KATORA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	305098.78	321614.00	626712.78	216573.00	410139.78
2023-24	410139.78	538285.00	948424.78	356628.00	591796.78

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2868608.95	3675393.28	6544002.23	3051123.58	3492878.65
2023-24	3492878.65	2033094.78	5525973.43	2111755.78	3414217.65

Vijay Kumar
VIJAY KUMAR
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कटोरा
विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ
तह. ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

(परिशिष्ट " ख " पैरा संख्या " 4(क) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत कटोरा वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176027

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP KATORA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH SFC	2022-23	0.00	165337.00	165337.00	108817.00	56520.00
		2023-24	56520.00	1833.00	58353.00	1833.00	56520.00
2	VKVNY	2022-23	260000.00	97042.00	357042.00	166719.00	190323.00
		2023-24	190323.00	156681.00	347004.00	104992.00	242012.00
3	SDP	2022-23	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	MPLADS	2022-23	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	CRF	2022-23	77629.00	2278.00	79907.00	2278.00	77629.00
		2023-24	77629.00	2366.00	79995.00	2366.00	77629.00
6	SBM	2022-23	32959.00	395.00	33354.00	33354.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	VMJSY	2022-23	4927.00	144.00	5071.00	5071.00	0.00
		2023-24	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00
8	MMAY	2022-23	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	NRHM	2022-23	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	14THFC	2022-23	993443.80	25773.20	1019217.00	1019217.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	15TH FC	2022-23	1495654.15	1275861.00	2771515.15	126054.50	2645460.65
		2023-24	2645460.65	233065.00	2878525.65	392552.00	2485973.65
14	CSC (RGSA) 1	2022-23	0.00	517146.00	517146.00	0.00	517146.00
		2023-24	517146.00	25137.00	542283.00	0.00	542283.00
15	CSC (RGSA) 2	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	520400.00	520400.00	520400.00	0.00
16	MARRIAGE REGISTRATION FEES	2022-23	3994.00	1917.00	5911.00	111.00	5800.00
		2023-24	5800.00	4205.00	10005.00	205.00	9800.00
17	MNREGA	2022-23	0.00	1589440.08	1589440.08	1589440.08	0.00
		2023-24	0.00	1089396.78	1089396.78	1089396.78	0.00

Vijay Kumar
VIJAY KUMAR
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कटोरा
विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ
तह. ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

31

38

(परिशिष्ट " ग ", पैरा संख्या " 4 (ख) " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत कटोरा वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176027

ग्राम पंचायत कटोरा के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (OWN SOURCE)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	20027080250	₹ 5,91,796.78	₹ 5,91,796.78
2	5 वाँ राज्य वित्तायोग (5TH SFC)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055874654	₹ 56,520.00	₹ 56,520.00
3	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50052641656	₹ 2,42,012.00	₹ 2,42,012.00
4	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना(M.P.L.A.D.S.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055874687	₹ 0.00	₹ 0.00
5	क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना (S.D.P.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055950659	₹ 0.00	₹ 0.00
6	15वाँ वित्तायोग (15TH FC)	यूको बैंक नगरोटा सूरियाँ	30720110038031	₹ 24,85,973.65	₹ 24,85,973.65
7	मुख्यमंत्री आवास योजना (M.M.A.Y.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50065702140	₹ 0.00	₹ 0.00
8	स्वच्छ भारत मिशन (S.B.M.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055874676	₹ 0.00	₹ 0.00
9	14वाँ वित्तायोग (14TH FC)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50065412463	₹ 0.00	₹ 0.00
10	आपदा राहत कोष (Calamity Relief Fund)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50055874542	₹ 77,629.00	₹ 77,629.00
11	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50056031135	₹ 0.00	₹ 0.00
12	विकास में जन -सहयोग (V.M.J.S.Y.)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50059632859	₹ 0.00	₹ 0.00
13	विवाह पंजीकरण शुल्क (Marriage Regi.Fees)	के०सी०सी०बी० नगरोटा सूरियाँ	50073643503	₹ 9,800.00	₹ 9,800.00
14	लोक सेवा केंद्र (रा०गाँ०स०अ०) CSC (RGSA) -1	इंडसइंड बैंक शिमला	100167513891	₹ 5,42,283.00	₹ 5,42,283.00
15	लोक सेवा केंद्र (रा०गाँ०स०अ०) CSC (RGSA) -2	इंडसइंड बैंक शिमला	100200916818	₹ 0.00	₹ 0.00
		हस्तगत नकद शेष (Own Source)		₹ 0.00	₹ 0.00
		कुल योग		**₹ 40,06,014.43**	**₹ 40,06,014.43**

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-		
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-		**₹ 40,06,014.43**
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-		**₹ 40,06,014.43**
अंतर :-		**₹ 0.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कटोरा
विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ
तह. ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

(परिशिष्ट " घ " पैरा संख्या " 7.1" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत कटोरा , वि०ख० कांगड़ा, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176027

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 512 परिवारों का ₹100/- तथा 2023-24 में 511 परिवारों का ₹100/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 22,800.00	512	₹ 100.00	₹ 51,200.00	₹ 74,000.00	₹ 49,500.00	₹ 24,500.00
2023-24	₹ 24,500.00	511	₹ 100.00	₹ 51,100.00	₹ 75,600.00	₹ 61,400.00	₹ 14,200.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹ 14200 /-** है।						

Vijay Kumar
VIJAY KUMAR
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कटोरा
विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ
तह. ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

परिशिष्ट " ड " , पैरा संख्या " 8.1 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत कटोरा द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के व्यय चयनित माह 03/2023 व 03/2024 के दौरान राशि ₹ 4.48 लाख के अनियमित भुगतान का विवरण

	वित्त वर्ष 2022-23									
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	स्टॉक रजि० पृ० सं०	फार्म X / फार्म Y
	अनुदान शीर्ष : 14 वां वित्तायोग (14 TH FC)									
1	M/S AMIT GULERIA CONT.	FFC/2022-23/P/11 Dt 27.03.2023	219/ 26.12.2022	रेत	₹ 44.00	380.00	ft^3	₹ 16,720.00	26	उपलब्ध नहीं है
2				बजरी क्रशर 10MM	₹ 34.00	100.00	ft^3	₹ 3,400.00	46	
3				बजरी क्रशर 20MM	₹ 34.00	100.00	ft^3	₹ 3,400.00	46	
				GST @ 5%				₹ 1,176.00		
4	M/S AMIT GULERIA CONT.	FFC/2022-23/P/18 Dt 28.03.2023	66/ 01.03.2023	रेत क्रशर	₹ 44.00	282.00	ft^3	₹ 12,408.00	26	उपलब्ध नहीं है
5				बजरी क्रशर 10MM	₹ 34.00	176.00	ft^3	₹ 5,984.00	47	
6				बजरी क्रशर 20MM	₹ 34.00	247.00	ft^3	₹ 8,398.00	47	
7				बजरी क्रशर 63/90MM	₹ 32.00	565.00	ft^3	₹ 18,080.00	71	
				GST @ 5%				₹ 2,244.00		
	वित्त वर्ष 2023-24									
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MGNREGA)									
8	SLATHIA FIRM HOUSE	35/ 01.03.2024	253/ 01.04.2023	बोल्डर पत्थर	₹ 24.00	1836	ft^3	₹ 44,064.00	90	उपलब्ध नहीं है
9	M/S AMIT GULERIA CONT.	42/ 01.03.2024	071/ 19.05.2023	रेत	₹ 44.00	₹ 141.00	ft^3	₹ 6,204.00	34	उपलब्ध नहीं है
10				बजरी क्रशर 10MM	₹ 34.00	₹ 105.00	ft^3	₹ 3,570.00	65	
11				बजरी क्रशर 20MM	₹ 34.00	₹ 176.00	ft^3	₹ 5,984.00	65	
12				बजरी क्रशर 63 MM	₹ 32.00	₹ 35.00	ft^3	₹ 1,120.00	65	
				GST@5%				₹ 843.90		
13	M/S AMIT GULERIA CONT.	44/ 01.03.2024	073/ 01.06.2023	रेत	₹ 44.00	₹ 247.00	ft^3	₹ 10,868.00	34	उपलब्ध नहीं है
14				बजरी क्रशर 20MM	₹ 34.00	₹ 247.00	ft^3	₹ 8,398.00	66	
15				बजरी क्रशर 40MM	₹ 31.00	₹ 211.00	ft^3	₹ 6,541.00	66	
				GST@5%				₹ 1,290.35		
16	M/S AMIT GULERIA CONT.	46/ 01.03.2024	069/ 01.05.2023	रेत लोकल	₹ 20.00	₹ 520.00	ft^3	₹ 10,400.00	34	उपलब्ध नहीं है
17				रेत क्रशर	₹ 44.00	₹ 510.00	ft^3	₹ 22,440.00	34	
18				बजरी क्रशर 10MM	₹ 34.00	₹ 35.00	ft^3	₹ 1,190.00	65	
19				बजरी क्रशर 20MM	₹ 34.00	₹ 735.00	ft^3	₹ 24,990.00	65	
20				बजरी क्रशर 40MM	₹ 31.00	₹ 1,155.00	ft^3	₹ 35,805.00	65	
				GST@5%				₹ 4,741.25		
21	SLATHIA FIRM HOUSE	47/ 01.03.2024	260/ 09.06.2023	बोल्डर पत्थर	₹ 24.00	617	ft^3	₹ 14,808.00	90	उपलब्ध नहीं है
22	M/S AMIT GULERIA CONT.	48/ 01.03.2024	75/ 18.07.2023	रेत क्रशर	₹ 44.00	₹ 317.00	ft^3	₹ 13,948.00	34	उपलब्ध नहीं है
23				बजरी क्रशर 10MM	₹ 34.00	₹ 282.00	ft^3	₹ 9,588.00	66	
24				बजरी क्रशर 20MM	₹ 34.00	₹ 494.00	ft^3	₹ 16,796.00	66	
25				बजरी क्रशर 63/90MM	₹ 32.00	₹ 494.00	ft^3	₹ 15,808.00	66	
				GST@5%				₹ 2,807.00		
26	M/S AMIT GULERIA CONT.	50/ 01.03.2024	70/ 19.05.2023	रेत क्रशर	₹ 44.00	₹ 176.00	ft^3	₹ 7,744.00	34	उपलब्ध नहीं है
27				बजरी क्रशर 20MM	₹ 34.00	₹ 141.00	ft^3	₹ 4,794.00	65	
28				बजरी क्रशर 40MM	₹ 31.00	₹ 282.00	ft^3	₹ 8,742.00	65	
29				बजरी क्रशर 63/90MM	₹ 32.00	₹ 423.00	ft^3	₹ 13,536.00	65	
					GST@5%			₹ 1,740.80		
30	M/S AMIT GULERIA CONT.	54/ 01.03.2024	72/ 01.06.2023	रेत क्रशर	₹ 44.00	₹ 350.00	ft^3	₹ 15,400.00	34	उपलब्ध नहीं है
31				बजरी क्रशर 10MM	₹ 34.00	₹ 350.00	ft^3	₹ 11,900.00	65	
32				बजरी क्रशर 20MM	₹ 34.00	₹ 525.00	ft^3	₹ 17,850.00	65	
33				बजरी क्रशर 63MM	₹ 32.00	₹ 880.00	ft^3	₹ 28,160.00	65	
				GST@5%				₹ 3,665.50		
						कुल जोड़		₹ 4,47,546.80		

Technical Assistant
Gram Panchayat Katori
Dev. Block, Nagrota Suriyan

Raman Kumar
GRS
GP Katora

VIJAY KUMAR
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कटोरा
विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ.
तह. ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8.2 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत कटोरा द्वारा अपूर्तिकर्ता से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान करते समय जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के व्यय चयनित माह 03/2024 के दौरान राशि ₹ 0.06 लाख का अतिरिक्त/अनियमित भुगतान बारे

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	व्यय चयनित माह	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सेवाओं एवं सामग्री का विवरण	वित्तीय वर्ष में कुल भुगतान की गई राशि	जी.एस.टी.टी. डी.एस. कटौती दर	जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि
1	2023-24	03/2024	M/S Amit Guleria Cont., V.P.O. Sakoh, Dharamshala, Kangra(H.P.) GST No. **02APUPG7861C2ZU**	Crusher Agg 10mm, Crusher Agg 20mm, Crusher Agg 40mm, Crusher Agg 63mm & Crusher Sand	₹ 3,01,776.00	2%	₹ 6,035.52
				Total (R/Off)	**₹ 3,01,776.00**	2%	**₹ 6,036.00**

Note: Amount considered for calculation of GST TDS is excluding GST Paid as per bills.

Heena Chung
Technical Assistant
Gram Panchayat Katora
Dev. Block, Nagrota Surian

Raman Kumar
GRS
GP Katora

Vijay Kumar
VIJAY KUMAR
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कटोरा
विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ
तह. ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

35

42

परिशिष्ट " द " , पैरा संख्या " 8.3 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत कटोरा द्वारा पत्थर की खरीद में रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के व्यय चयनित माह 03/2024 के दौरान राशि ₹0.07 लाख का अतिरिक्त/अनियमित भुगतान का विवरण

वित्त वर्ष 2023-24										
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशि GST सहित	कटौती दर	रिक्तियां (Voids)
	अनुदान शीर्ष : मनरेगा (MNREGA)									
1	SLATHIA FIRM HOUSE	35/ 01.03.2024	253/ 01.04.2023	बोल्डर पत्थर	₹ 24.00	1836.00	ft^3	₹ 44,064.00	12.50%	₹ 5,508.00
2	SLATHIA FIRM HOUSE	47/ 01.03.2024	260/ 09.06.2023	बोल्डर पत्थर	₹ 24.00	617.00	ft^3	₹ 14,808.00	12.50%	₹ 1,851.00
							कुल योग	₹ 58,872.00		₹ 7,359.00

Neena Chauhan
Technical Assistant
Gram Panchayat Katora
Dev. Block, Nagrota Surian

Raman Kumar
GPS
GP Katora

Total Checked

Vijay Kumar
VIJAY KUMAR
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कटोरा
विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ
तह. ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

ग्राम पंचायत कटोरा द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के व्यय चयनित माह 03/2023 में राशि ₹ 3.99 लाख की सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

	वित्त वर्ष 2022-23									
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	दर	मात्रा	Deno	राशी GST सहित	स्टॉक रजि० पृ० सं०	टिप्पणी
	अनुदान शीर्ष : 14 वां वित्तायोग (14 TH FC)									
1	M/S AMIT GULERIA CONT.	FFC/2022-23/P/11 Dt 27.03.2023	219/ 26.12.2022	रेत	₹ 44.00	380.00	ft^3	₹ 16,720.00	26	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया
2				बजरी क्रशर 10MM	₹ 34.00	100.00	ft^3	₹ 3,400.00	46	
3				बजरी क्रशर 20MM	₹ 34.00	100.00	ft^3	₹ 3,400.00	46	
				GST @ 5%				₹ 1,176.00		
4	M/S AMIT GULERIA CONT.	FFC/2022-23/P/18 Dt 28.03.2023	66/ 01.03.2023	रेत क्रशर	₹ 44.00	282.00	ft^3	₹ 12,408.00	26	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया
5				बजरी क्रशर 10MM	₹ 34.00	176.00	ft^3	₹ 5,984.00	47	
6				बजरी क्रशर 20MM	₹ 34.00	247.00	ft^3	₹ 8,398.00	47	
7				बजरी क्रशर 63/90MM	₹ 32.00	565.00	ft^3	₹ 18,080.00	71	
				GST @ 5%				₹ 2,244.00		
8	M/S SHIVA TRADERS	FFC/2022-23/P/24 Dt 29.03.2023	230/ 20.03.2023	Two Seater Swing	₹ 24,500.00	1.00	Nos	₹ 24,500.00	6	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया
9				Sea Saw Swing	₹ 21,300.00	1.00	Nos	₹ 21,300.00	6	
10				Slider 12Feet	₹ 25,500.00	1.00	Nos	₹ 25,500.00	6	
11				Bridge Ladder	₹ 18,500.00	1.00	Nos	₹ 18,500.00	6	
12				Marry Go Round	₹ 36,500.00	1.00	Nos	₹ 36,500.00	6	
13				Chest Press Double	₹ 38,900.00	1.00	Nos	₹ 38,900.00	6	
14				Leg Press Double	₹ 31,800.00	1.00	Nos	₹ 31,800.00	6	
15				Cross Triner Double	₹ 31,800.00	1.00	Nos	₹ 31,800.00	6	
16				Rowing Machine	₹ 24,500.00	1.00	Nos	₹ 24,500.00	6	
17	M/S N.M. Steel Enterprises	FFC/2022-23/P/28 Dt 31.03.2023	2032/ 29.03.2023	PVC Fall Celing + Panelling With Parametre and Angle	₹ 450.00	170.00	Nos	₹ 76,500.00	86	दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया
				GST @ 18%				₹ 13,770.00		
						कुल योग		₹ 3,98,660.00		

Final Check

Naveen Chauhan
Technical Assistant
Gram Panchayat Katora
Dev. Block, Nagrota Surian

Vijay Kumar
VIJAY KUMAR
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कटोरा
विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ
तह. ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

(परिशिष्ट " झ " पैरा संख्या " 9.1 " में संदर्भ में)

ग्राम पंचायत कटोरा द्वारा मनरेगा अनुदानों के अंतर्गत स्वीकृत राशि ₹13.00 लाख के निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशी	चयनित माह में भुगतान की गई राशि
1	C/o crate work Joginder Singh etc. land to Shamshan Ghat(1304010471/FP/8000082996)	2020-21	₹ 4,25,788.00	₹ 7,420.00
2	C/o Culvert and ambulance road main road to Randev, Pawan Singh, Sandev Singh etc. awadi(1304010471/RC/8000111449)	2021-22	₹ 4,74,281.00	₹ 9,752.00
3	अपवर्धन मोक्ष धाम लोअर कटोरा वार्ड 6(1304010471/AV/8000051280) Convergence with VKVNY	2022-23	₹ 4,00,000.00	₹ 19,680.00
		कुल जोड़	₹ 13,00,069.00	₹ 36,852.00

Raman Kumar
GRS
GP Katora

Technical Assistant
Gram Panchayat Katora
Dev. Block Nagrota Surian

Vijay Kumar
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कटोरा
विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ
तह. ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

38

परिशिष्ट " अ ", पैरा संख्या " 9.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत कटोरा द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये मजदूरी तथा गैर मजदूरी घटक पर निर्धारित 60:40 अनुपात को सुनिश्चित न करने के कारण सामग्री खरीद पर राशि ₹0.38 लाख के अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	वर्क कोड	MIS अनुसार कुल व्यय राशि	MIS अनुसार सामग्री पर कुल व्यय	सामग्री पर व्यय योग्य राशी (कुल व्यय का 40%)	सामग्री पर अतिरिक्त व्यय की गई राशि (60:40 अनुपात)
1	C/O WATER TANK IN THE LAND OF MIRCHU RAM	1304010471/WC/32093609	₹ 67,975.37	₹ 53,443.37	₹ 27,190.15	₹ 26,253.22
2	C/o Protection Wall in the Land of Sudesh Kumari	1304010471/IF/32189888	₹ 53,796.32	₹ 33,613.32	₹ 21,518.53	₹ 12,094.79
		कुल जोड़	**₹ 1,21,771.69**	**₹ 87,056.69**	**₹ 48,708.68**	**₹ 38,348.00**

Raman Kumar
GRS
GP Katora

Technical Assistant
Gram Panchayat Katora.
Dev. Block. Nagrota Bagwan

Vijay Kumar
VIJAY KUMAR
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कटोरा
विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ
तह. ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)